



Neutral Citation No. - 2026:AHC:43026

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या - 6391/2025
पल्लवी श्रीवास्तवपुनरीक्षणकर्ता(गण)
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्यविपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता : कमलेश कुमार तिवारी
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : तौसीफ अहमद, विजय कुमार राय, शासकीय अधिवक्ता

ए.एफ.आर.

न्यायालय संख्या - 85

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह,

- पुनरीक्षणकर्ता की ओर से पूरक शपथ-पत्र और विपक्षी संख्या 2 की ओर से दाखिल प्रतिशपथ-पत्र आज न्यायालय में अभिलेख पर लिए जाते हैं।
- पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
- वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण धारा 397/401 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय-II, गोरखपुर द्वारा दाण्डिक प्रकरण संख्या 1165 सन् 2023 (पल्लवी श्रीवास्तव बनाम तरुण प्रकाश श्रीवास्तव), धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत, दिनांक 16 सितम्बर, 2025 को पारित निर्णय और आदेश को अभिखण्डित/अपास्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने अधिकारिता के आधार पर विपक्षी संख्या 2 से मासिक भरण-पोषण भत्ता प्रदान करने के लिए पुनरीक्षणकर्ता के धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आवेदन को अस्वीकार कर दिया है।
- पुनरीक्षणकर्ता का यह प्रकरण है कि पुनरीक्षणकर्ता का विवाह विपक्षी संख्या 2 के साथ दिनांक 9 दिसम्बर, 2020 को हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार सम्पन्न हुआ था, जिसमें रुपये 10 लाख नकद और अन्य आभूषण पुनरीक्षणकर्ता के पिता द्वारा विपक्षी संख्या 2 के परिवार को दहेज के रूप में दिए गए थे। कुल मिलाकर, पुनरीक्षणकर्ता के पिता के लगभग रुपये 30 लाख खर्च हुए। विवाह के उपरान्त पुनरीक्षणकर्ता अपने ससुराल लखनऊ चली गई और वहां रही। दिनांक 24 दिसम्बर, 2020 को,

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पुनरीक्षणकर्ता की सास और ननद ने उसे सुरक्षित रखने के नाम पर बैंक लॉकर में रखने के लिए उसके सभी आभूषण ले लिए और जब वह अपने पति अर्थात् विपक्षी संख्या 2 के साथ बाहर गई, तो उन्होंने उसे उक्त आभूषण खोने का आरोप लगाया। पुनरीक्षणकर्ता के जीजा, अर्थात् सतीश श्रीवास्तव और प्रभात श्रीवास्तव का उसके प्रति बुरा इरादा है। विपक्षी संख्या 2 के परिवार के सदस्य आदतन शराब पीने वाले हैं और शराब पीने के बाद वे पुनरीक्षणकर्ता को गाली देते थे। विपक्षी संख्या 2 मर्चेट नेवी में नौकरी करता है और वह हमेशा वाइन के साथ आता था। एक दिन, विपक्षी संख्या 2 ने पुनरीक्षणकर्ता को शराब पीने की पेशकश की लेकिन उसने इनकार कर दिया, तो उसने उसे धक्का दिया जिससे उसे चोटें आईं। जब विपक्षी संख्या 2 अपने कर्तव्य पर गया, तो उसके परिवार के सदस्य उसे आभूषण खोने के लिए परेशान करते थे। पुनरीक्षणकर्ता पेट की बीमारी से पीड़ित थी और उसका ऑपरेशन दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 को हुआ था और दूसरा ऑपरेशन फरवरी-मार्च, 2023 के महीने में होना निर्धारित था, विपक्षी संख्या 2 और उसके परिवार के सदस्यों ने उसे अस्पताल में छोड़ दिया और उसके बाद उसके माता-पिता ने उसकी देखभाल की। दूसरा ऑपरेशन कराने के बाद, उसे दिनांक 15 मार्च, 2023 को अस्पताल से छुट्टी मिली, पुनरीक्षणकर्ता के माता-पिता ने विपक्षी संख्या 2 के बड़े भाई को पुनरीक्षणकर्ता को उसके ससुराल ले जाने के लिए बुलाया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए वह अपने माता-पिता के घर गोरखपुर आ गई।

6. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि पुनरीक्षणकर्ता के पिता, अर्थात् कृष्ण कुमार श्रीवास्तव पहले रेलवे विभाग में कार्यरत थे और सेवा के दौरान, वे लखनऊ में रहे और एक घर भी खरीदा और बनाया, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद वे गोरखपुर में अपने पैतृक स्थान अमित आदित्य टेंट हाउस, बिछिया, जंगल तुलसीराम, शाहपुर, गोरखपुर, उ.प्र. पर निवास करते हैं। गोरखपुर में, पुनरीक्षणकर्ता के पिता के पास पैतृक संपत्ति भी है और वे गोरखपुर के कोषागार कार्यालय से अपनी पेंशन भी आहरित करते हैं। आगे यह निवेदन किया गया कि दिनांक 15 मार्च, 2023 को, दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी न होने के कारण, विपक्षी संख्या 2 ने पुनरीक्षणकर्ता को उसके माता-पिता के घर अर्थात् गोरखपुर में छोड़ दिया, जहां उसने दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 को पुलिस स्टेशन-महिला थाना, जिला-गोरखपुर में अपने पति और अपने ससुराल वालों (कुल 7 व्यक्तियों) के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जो मुकदमा अपराध संख्या 0057 सन् 2023, धाराओं 498-ए, 323, 504, 506, 406 भा.दं.सं. और धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज की गई, उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति पूरक शपथ-पत्र के पृष्ठ संख्या 24 पर आगे संलग्न की गई है। दिनांक 15 मार्च, 2023 से, जब उसके पति अर्थात् विपक्षी संख्या 2 ने पुनरीक्षणकर्ता को उसके माता-पिता के घर गोरखपुर में छोड़ दिया, उसके पास वहां रहने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था और तब से वह वहां रह रही है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. अपने प्रकरण के समर्थन में, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान पूरक शपथ-पत्र के अनुलग्नक संख्या एस.ए.-1 के रूप में संलग्न नगर निगम, गोरखपुर की मतदाता सूची-2022 की ओर आकर्षित किया है, जिसमें पुनरीक्षणकर्ता के पिता और उनके परिवार के सदस्यों के नाम उल्लिखित हैं। उन्होंने पूरक शपथ-पत्र के अनुलग्नक संख्या एस.ए.-2 के रूप में संलग्न किसान बही का भी उल्लेख किया है, जो गोरखपुर के जिला प्रशासन के राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी की गई है, जिसमें पुनरीक्षणकर्ता के पिता को जिला गोरखपुर का स्थायी निवासी दर्शाया गया है।

8. उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विचारण के दौरान उसके निवास स्थान अर्थात् उसके माता-पिता के घर अर्थात् गोरखपुर के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्य पर विचार नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता के प्रकरण में धारा 126 (1) दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की भी गलत व्याख्या की है, जबकि उक्त प्रावधान उसके प्रकरण में पूर्णतः लागू है। विचारण न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के भरण-पोषण भत्ता प्रदान करने के दावे को अस्वीकार करते हुए पारित निर्णय आवेदन के बिना और साक्ष्य के गलत मूल्यांकन में है।

9. उपरोक्त आधार पर, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पुनरीक्षणकर्ता के निवास स्थान के बारे में उपरोक्त तथ्यों की जांच किए बिना, विचारण न्यायालय ने अधिकारिता के आधार पर धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है, जिसे कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता और इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

10. दूसरी ओर, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदनों का विरोध करते हुए यह निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता के दावे को अस्वीकार करते हुए अपीलित निर्णय पारित करने में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं की है, जिससे इस न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग में कोई हस्तक्षेप आवश्यक हो।

11. उपरोक्त के अलावा, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपने ससुराल अर्थात् विपक्षी संख्या 2 के घर को छोड़ने के बाद, पुनरीक्षणकर्ता अपने माता-पिता के साथ लखनऊ के हाइडिल कॉलोनी, जयराजपुरी, हनुमान मंदिर के पास, सरोजनी नगर, अमौसी में रहती है, जैसा कि उसके आधार कार्ड से स्पष्ट है, जिसकी एक प्रति प्रतिशपथ-पत्र के पृष्ठ संख्या 45 पर अभिलेख पर लाई गई है। इसके अलावा, लखनऊ में पुनरीक्षणकर्ता के निवास के वर्तमान पते को दर्शाने के लिए विपक्षी संख्या

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



2 के विद्वान अधिवक्ता ने पुनरीक्षणकर्ता के भाई, अर्थात् अमित श्रीवास्तव के विवाह कार्ड की प्रति, पुनरीक्षणकर्ता के पिता के चार पहिया वाहन के पंजीकरण पत्र, पुनरीक्षणकर्ता के पिता के उपचार संबंधी चिकित्सा पत्र, पुनरीक्षणकर्ता के माता-पिता के परिवार के मतदाता पहचान पत्र, वर्ष 2022 और 2024 के बैंक पासबुक और पुनरीक्षणकर्ता के ड्राइविंग लाइसेंस, पुनरीक्षणकर्ता की एस.आई.आर. सूची और घोषणा और दिनांक 21 जनवरी, 2024 की विक्रय-विलेख, जिसे पुनरीक्षणकर्ता के पिता ने उसकी माता के नाम पर खरीदा है, भी संलग्न किए हैं।

12. उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपने ससुराल को छोड़ने के बाद से पुनरीक्षणकर्ता अपने माता-पिता के घर लखनऊ में निवास कर रही है, इसलिए विचारण न्यायालय ने अधिकारिता के आधार पर धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अपने प्रकरण के समर्थन में, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **अमित कपूर बनाम रमेश चंद्र एवं अन्य**, (2012) 9 एस.सी.सी. 460 के प्रकरण में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है।

13. उपरोक्त आधार पर, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूंकि अपीलित निर्णय में कोई अवैधता नहीं है, इसलिए वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण खारिज किए जाने योग्य है।

14. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदनों के साथ-साथ अपीलित निर्णय सहित अभिलेख के अवलोकन पर विचार करते हुए, यह न्यायालय पाता है कि यह स्वीकृत प्रकरण है कि पुनरीक्षणकर्ता विपक्षी संख्या 2 की वैध रूप से विवाहित पत्नी है।

15. पुनरीक्षणकर्ता और विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के वर्तमान निवास स्थान के संबंध में भरोसा किए गए दस्तावेजों के अवलोकन से, यह न्यायालय पाता है कि पुनरीक्षणकर्ता के पिता के पास रहने के दो स्थान हैं, एक उनका पैतृक स्थान अर्थात् गोरखपुर और दूसरा उनका कार्यस्थल अर्थात् लखनऊ जहां से वे सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, जिसका अर्थ है कि पुनरीक्षणकर्ता के पति के पास लखनऊ में निर्मित घर के साथ-साथ उनका पैतृक स्थान अर्थात् गोरखपुर भी है। जैसा कि उनकी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार, पुनरीक्षणकर्ता के पति अपने स्वयं के घर में या तो लखनऊ में या गोरखपुर में रहते हैं। यह भी स्वाभाविक है कि अपने ससुराल को छोड़ने के बाद, उसके पास अपने माता-पिता के साथ, जहां भी वे रहते हैं, रहने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। यह पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 को पुलिस स्टेशन-महिला थाना, जिला-गोरखपुर में अपने पति और अपने ससुराल वालों (कुल 7 व्यक्तियों) के विरुद्ध दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट से निकलता है, जो

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मुकदमा अपराध संख्या 0057 सन् 2023, धाराओं 498-ए, 323, 504, 506, 406 भा.दं.सं. और धारा 3/4 दहेज निषेध अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज की गई थी और अपीलित निर्णय के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 13 मार्च, 2023 को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद, वह अपने ससुराल गई और उसके बाद दिनांक 15 मार्च, 2023 को वह अपने माता-पिता के घर अर्थात् बिछिया, जंगल तुलसीराम, आदित्य टेंट हाउस, गोरखपुर चली गई और तब से वह वहां रह रही है।

16. वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण में अपीलित निर्णय की शुद्धता या अन्यथा का निर्णय करने के लिए, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाहियों के स्थान के लिए उपबंध करने वाली धारा 126 दंड प्रक्रिया संहिता की उप-धारा (1) को नोटिस करना उचित होगा। सुविधा के लिए, धारा 126 दंड प्रक्रिया संहिता की उप-धारा (1) का उद्धरण नीचे दिया जा रहा है:-

“126. प्रक्रिया.-(1) धारा 125 के अन्तर्गत कार्यवाहियां किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी जिले में की जा सकती हैं- (क) जहां वह है, या (ख) जहां वह या उसकी पत्नी निवास करती है, या (ग) जहां उसने अपनी पत्नी के साथ अंतिम बार निवास किया था, या जैसा भी मामला हो, अवैध बच्चे की माता के साथ।”

17. उपरोक्त उद्धृत प्रावधान के सूक्ष्म अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत कार्यवाहियां किसी भी जिले में उस व्यक्ति के विरुद्ध की जा सकती हैं जहां पति निवास करता है या जहां वह है, या उसकी पत्नी निवास करती है, या जहां पति ने अपनी पत्नी के साथ अंतिम बार निवास किया था या जैसा भी मामला हो, अवैध बच्चे की माता के साथ।

18. श्रीमती जीवनती पाण्डेय बनाम किशन चंद्र पाण्डेय, (1981) 4 एस.सी.सी. 517 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने “निवास करता है” शब्द को परिभाषित किया है, जो इस प्रकार है:-

“12.....“निवास करता है” अभिव्यक्ति का अर्थ है काफी समय के लिए निवास स्थान बनाना; स्थायी रूप से या लंबे समय के लिए निवास करना; कुछ समय के लिए एक निश्चित निवास स्थान होना। यह वह स्थान है जहां एक व्यक्ति का निश्चित घर या निवास स्थान होता है। जहां एक स्थान पर ऐसा निश्चित घर या ऐसा निवास स्थान होता है, वह व्यक्ति किसी अन्य स्थान पर निवास नहीं करता है जहां वह आकस्मिक या अस्थायी रूप से गया है, उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य या व्यवसाय के लिए या बदलाव के लिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक स्थापित घर में रहता है, तो उसका कानूनी और वास्तविक निवास स्थान एक ही होता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई स्थापित घर

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नहीं है और वह होटलों, बोर्डिंग हाउसों या दूसरों के घरों में रहने के लिए मजबूर है, तो उसका वास्तविक और शारीरिक निवास वह स्थान है जहां वह वास्तव में या व्यक्तिगत रूप से निवास करता है।”

19. दर्शन कुमारी (श्रीमती) बनाम सुरिंदर कुमार, 1995 सप्ल. (4) एस.सी.सी. 137 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह का विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि पत्नी का अस्थायी निवास यदि आकस्मिक नहीं है तो उस स्थान या संबंधित जिले के मजिस्ट्रेट को भरण-पोषण याचिका का विचारण करने के लिए अधिकारिता प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। इसका प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है:-

“3.....हम पाते हैं कि संहिता की धारा 126 के लिए यह आवश्यक है कि धारा 125 के अन्तर्गत कार्यवाहियां किसी भी जिले में उस व्यक्ति के विरुद्ध की जा सकती हैं जहां वह या उसकी पत्नी निवास करती है। धारा को उक्त स्थान पर स्थायी निवास की आवश्यकता नहीं है। अस्थायी निवास, जब तक कि वह आकस्मिक न हो, उस स्थान या संबंधित जिले के मजिस्ट्रेट को अधिकारिता प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। इस मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष गलत था। अपीलार्थी उक्त आवेदन को नूह के विद्वान मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोजित करने की हकदार थी जहां उसके आवेदन में उसके कथन के अनुसार, वह निवास कर रही थी और अभी भी निवास कर रही है। इसलिए, हम उच्च न्यायालय के अपीलित निर्णय को अपास्त करते हैं.....”

20. अभिलेख से निकलने वाले तथ्यों के दृष्टिकोण में, यह स्पष्ट है कि धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत वर्तमान आवेदन दाखिल करने के समय पुनरीक्षणकर्ता अपने माता-पिता के घर अर्थात् गोरखपुर में निवास कर रही थी जो उसके पिता का पैतृक स्थान है। इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों को लागू करते हुए और धारा 126 (1) (ख) दंड प्रक्रिया संहिता के सरल पठन को प्रकरण के तथ्यों पर लागू करने पर, यह न्यायालय इस विचारित राय का है कि अपने ससुराल लखनऊ को छोड़ने के बाद वह अपने माता-पिता के घर गोरखपुर में निवास कर रही है, जहां उसने अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। जैसा कि, धारा 126 (1) (ख) दंड प्रक्रिया संहिता पुनरीक्षणकर्ता के प्रकरण में पूर्णतः लागू है। पुनरीक्षणकर्ता गोरखपुर में अपने माता-पिता के घर में आकस्मिक रूप से नहीं रही है। इस प्रकार, यह न्यायालय इस विचारित दृष्टिकोण का है कि गोरखपुर में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किया गया आवेदन पोषणीय है और गोरखपुर का विचारण न्यायालय धारा 126 (1) (ख) दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार उक्त आवेदन को सुनने और निर्णय करने के लिए अधिकारिता रखता है।

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



21. उपरोक्त विचार-विमर्श और चर्चा के दृष्टिकोण में, यह न्यायालय पाता है कि विचारण न्यायालय ने उपरोक्त के रूप में देखे गए ऐसे तथ्यों पर विचार नहीं किया है और अधिकारिता के आधार पर धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पुनरीक्षणकर्ता के दावे को अस्वीकार करते हुए अपीलित निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष विधि की दृष्टि से कानूनी और सही नहीं कहा जा सकता। विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **अमित कपूर (उपरोक्त)** के प्रकरण में भरोसा किया गया निर्णय वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में लागू नहीं है।

22. फलस्वरूप, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय-II, गोरखपुर द्वारा दाण्डिक प्रकरण संख्या 1165 सन् 2023 (पल्लवी श्रीवास्तव बनाम तरुण प्रकाश श्रीवास्तव), धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत, दिनांक 16 सितम्बर, 2025 को पारित निर्णय और आदेश अभिलिखित किया जाता है।

23. विधान के वास्तविक आशय को प्राप्त करने के लिए, विचारण न्यायालय को पुनरीक्षणकर्ता के धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आवेदन, जो दाण्डिक प्रकरण संख्या 1165 सन् 2023 (पल्लवी श्रीवास्तव बनाम तरुण प्रकाश श्रीवास्तव) के रूप में दर्ज किया गया है, को गुण-दोष के आधार पर, विधि के अनुसार, एक तर्कसंगत बोलने वाले आदेश द्वारा, अधिकारिता या वर्तमान आवेदन की पोषणीयता के संबंध में कोई आपत्ति उठाए बिना, इस आदेश की प्रमाणित प्रति के प्रस्तुत करने की तारीख से दो महीने के भीतर, दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए बिना किसी पक्षकार को कोई अनावश्यक स्थगन दिए, यदि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो, विचार करने और निर्णय करने का निर्देश दिया जाता है।

24. वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण उपरोक्त किए गए निर्देशों/टिप्पणियों के अधीन **स्वीकृत** किया जाता है।

25. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

25 फरवरी, 2026

सुशील/-

(मदन पाल सिंह, न्यायमूर्ति)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"